

दूरभाष / Tele : 0364-2223320
फैक्स / FAX : 0364-2223170/2224937
ई-मेल / E-Mail : megh.gdc.soi@gov.in



भारत सरकार
GOVT OF INDIA

निदेशक का कार्यालय OFFICE OF DIRECTOR
मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश
MEGHALAYA & ARUNACHAL PRADESH
भू - स्थानिक आँकड़ा केंद्र z GEO-SPATIAL DATA CENTRE
डाक पेटी सं. ८९ POST BOX NO. #89
माल्की, शिलांग & ७९३००३ MALKI, SHILLONG - 793 001
मेघालय, भारत, MEGHALAYA, INDIA

इस पत्रका उत्तर मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी. के पत्र पर भेजना चाहिये, किसी अधिकारी के नाम से नहीं। उत्तर देते समय इस पत्रकी सं. और दिनांक टी जाननी चाहिये।
Any reply to this letter should be addressed to the Meghalaya & Arunachal Pradesh GDC, not to any office by name. The No. & date of this letter should be quoted.

नेमी आदेश संख्या - 11 (प्रशासनिक), दिनांक: 31 MAY., 2023

ROUTINE ORDER NO. 11 (ADM), DATED 31 MAY, 2023

दंड का बदलाव:

REVISION OF PUNISHMENT:

1. सीसीएम (सीसीएम) नियम, 1965 के नियम 29 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा, श्री अभिजीत दास, अधिकारी सर्वेयर (आरोपी अधिकारी) पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड को कम करता है। विज-6237/1196-पीएफ (अभिजीत दास) दिनांक 22-09-2022 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित पुनरीक्षण आदेश संख्या एसएम/23/02/2023 (ई-43618) दिनांक 22-05-2023 जारी किया गया है:-/In exercise of the powers conferred under Rule 29 of the CCS (CCA) Rules, 1965, the Appellate Authority, hereby, reduces the penalty imposed by the Disciplinary Authority upon Shri Abhijit Das, Officer Surveyor (the Charged Officer) issued vide Order No. Vig-6237/ 1196-PF (Abhijit Das) dated 22-09-2022 the following Revision Order No. SM/23/02/2023 (E-43618) dated 22-05-2023 has been issued by the Appellate Authority:-

a) निंदा /Censure.

b) श्री अभिजीत दास, ऑफिसर सर्वेयर, सीसीएम (एलटीसी) नियमों के नियम 16(1) और 16(2) के तहत पूर्ण एलटीसी ब्लॉक वर्ष 2022-2025 के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए एलटीसी का दावा करने से भी वंचित होंगे, अर्थात् एक घर के लिए शहर और एक भारत में किसी भी जगह के लिए।/ Shri Abhijit Das, Officer Surveyor, under Rule 16(1) & 16(2) of CCS (LTC) Rules shall also be debarred from claiming LTC for self and family members for full LTC block year 2022-2025 i.e. one to home town & one to any place in India.

2. अतः इस कार्यालय के नियमित आदेश क्रमांक 11 (एडीएम) दिनांक 18-10-2022 के पैरा 2(ii) को निरस्त माना जाए। Hence, Para 2 (ii) of this office Routine Order No. 11 (ADM) dated 18-10-2022 may be treated as **CANCELLED**.

(प्राधिकरण: एस.जी. का पत्र संख्या विग-1196/1196-पीएफ (अभिजीत दास) दिनांक 26-05-2023)

(Authority: S.G.'s letter No. Vig-197/1196-PF (Abhijit Das) dated 26-05-2023)

रंजन नेगी

(कर्नल रंजन नेगी/ Col Ranjan Negi)

निदेशक/Director,

मेघा. एवं अरु. प्र. जी.डी.सी./Megh. & Ar. Pradesh G.D.C.

वितरण /Distribution:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून/The Surveyor General of India, Dehra Dun: कृपया सूचनार्थ/For kind information please.
2. अतिरिक्त S.G., NEZ, शिलांग, कृपया जानकारी के लिए / The Addl. S.G., NEZ, Shillong: कृपया सूचनार्थ/For kind information, please.

3. लेखा अधिकारी क्षेत्रीय वेतन व लेखा कार्यालय कोलकाता / The Accounts Officer, RP&AO, Kolkata: कृपया जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु /For information and necessary action, please.
4. वेबसाइट प्रभारी, भारतीय सर्वेक्षण की वेबसाइट (कौशल किशोर शुक्ला <admn.soi@gov.in>) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे SOI की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।/The Website In-charge, Survey of India website (Kaushal Kishore Shukla <admn.soi@gov.in>) with a request to publish on SOI website, please.
5. स्था. व लेखा अ. मेघा. और अ. प्र. को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु बाबत संबंधित अधिकारियों के सेवा अभिलेख में प्रविष्टि। /E.&A.O, Meg. & Ar. P. GDC for information and necessary action w.r.t. entry in the service record of the concern officers.
6. फाइल File: 37-जीG-9/2-ए A (गोप. Conf.) /2-A- अभिजीत दास Abhijit Das (गोप. Conf.)